(ग) यह मंत्रालय समय समय पर नमूना आधार पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन करवाता है। सितम्बर, 1992 से अगस्त, 1993 तक करवाए गए पिछले समवर्ती मूल्यकांन के अनुसार सहायाता प्राप्त पारियों में 54.4 प्रतिशत परिवार 6400 रूपए की गरीबी रेखा को पार करने में सक्षम थे।

Women Employment under JRY

3178. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that *SC/ST* and landless labour got 54% and 38% share in employment respectively under Jawahar Rozgar Yojana during 1991-92 which declined by 13% and 5% respectively in 1992-93 and the women's share which should be 30% got only 16.50%; and

(b) if so, the specific reasons therefor and the remedial steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) and (b) Under Jawahar Rozgar Yojana (JRY) two rounds of Concurrent Evaluation have been conducted. As per the first round (January, 1992—December, 1992), SCs/STs and landless labour got 54% and 38% of wage employment generated under JRY respectively. The second round (June, 1993—May, 1994) reveals that in the total employment generation under the scheme share of SCs/STs was 47.16% and landless labourers was 36.2% and the share of women was 16.59%. JRY is a self-targetting scheme under which casual wage employment is provided to people living below the poverty line. State Governments have been requested to encourage women for employment under JRY by providing facilities like drinking water, rest-sheds, creches for the working mothers. As per the reports received from the State Governments, the percentage share of women in employment was 27.65% and 28.7% during 1996-97 and 1997-98 respectively under the scheme.

क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकार और गरिमा को पुनः स्थापित करना

3179. **श्री सूर्यभान पाटील बहाडणे:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत सदस्यों या ब्लाक विकास समिति सदस्यों के अधिकार क्षेत्र, कार्यों और महत्व का विवरण क्या है,

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में इन पदों का महत्व तथा अधिकार समाप्त हो गया है जब कि आम नागरिक की इन सदस्यों से बड़ी अपेक्षाएं होती है, और

(ग) क्या सरकार इन सदस्यों के अधिकार पुनः स्थापित करने तथा पद की गरिमा बनाये रखने के लिए कोई अनुदेश जारी करने का विचार रखती है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का सूचारु रुप से संतुलित विकास हो सके?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) और (ख) संबिधान के 73 वें संशोधन अधिनियम में क्षेत्र पंचायत सदस्यों अथवा खंड विकास समिति के सदस्यों के कार्य क्षेत्र कार्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। खंड विकास समितियां जहां पर भी बनाई गई है, समान्यतया सरकारी आदेशों के परिणामस्वरुप बनाई गई हैं न कि संवैधानिक आदेशों से। अतः क्षेत्र पंचायत सदस्यों की महत्ता तथा अधिकारों का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

Water Shortage in Gujarat

3180. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOY MENT be pleased to state:

(a) the amount released to Gujarat by Government to overcome water shortage in villages and towns in the current year;

(b) if so, the details thereof;

(c) latest reported number of no source villages in Gujarat, particularly in Saurashtra and Kutch region after the scarcity; and